अनुसूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

ई0सी0 एक्ट वाद संख्या–136/2011

धारा–6 (A) ई0सी0 एक्ट अन्तर्गत

राज्य

बनाम

मो0 तबरेज आलम एवं अन्य ..... **विपक्षी**

आ दे श

पूर्व निर्धारित तिथि 24.10.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी मो0 तबरेज आलम, अमौर प्रखंड के मध्याहन भोजन योजना के संवेदक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर एवं थानाध्यक्ष द्वारा जप्त किये गये अनाज को प्रखंड गोदाम में रख हुआ है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि जप्त किये अनाज को कालाबाजारी के उद्देश्य से ही संवेदक के द्वारा ले जा रहा था, इसलिये इसे राजसात किया जाना उचित होगा।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं उभय पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया जाता है कि जप्त किये गये अनाज को राजसात करने की स्वीकृति दी जाती है। अनुमंडल पदाधिकारी, वायसी को आदेश दिया जाता है कि राजसात कि गई चावल को संबंधित प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के माध्य से बिक्री करवाकर बिक्री राशि को चलान द्वारा कोषागार में जामा कर सुचित करेगे। इस आदेश के साथ को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ